

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

शंभू शरण, मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*द्वारा -- सहायक आन्तरिक विरीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 15/01/2025

विषय:- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में बजट उपबंध से प्राप्त सहायक अनुदान-गैर वेतन मद की राशि रु० 70,00,00,000/- (रुपये सत्तर करोड़) मात्र के व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रात शिक्षा के विकास करने एवं चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र में सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम संख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान में सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्थान में कई चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट खोला गया है। उक्त परिस्थिति में पूर्व वर्षों की भांति इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान-गैर वेतन की राशि रु० 70,00,00,000/- (रुपये सत्तर करोड़) मात्र के व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 4443/वि०, दिनांक-14.06.2018 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

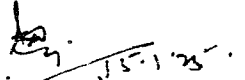
(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0017-इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड- 20-2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(4) इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(5) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट रा०-PBIP.LA003 विपत्र कोड-00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-15923 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

- (6) इस राशि की निकारी राशिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- (7) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना प्राप्त राशि का अकैक्षण ससमय पूर्ण कराकर अकैक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग के माध्यम से ससमय महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेगी।
- (8) विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०बी० न० एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेगे।
- (9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- (10) रवीकृत्यादेश प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/MCH-35-48/2023-24 के पृष्ठ-05/टि० में प्राप्त है।
- (11) यह मात्र रवीकृत्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।
- (12) इसमें महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभू-शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-7/MCH-35-48/2023-24 - 356 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-15/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

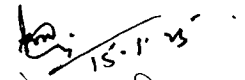
प्रतिलिपि: प्रण्डलीय आयुक्त, पटना प्रण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: भा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव